रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96 REGISTERED NO. DL-33001/96

CENTRAL SECT. No. Date Comp

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1996/कार्तिक 25, 1918
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1996/KARTIKA 25, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1996

सा.का.नि. 497 :– राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय में डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड "ए" के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों को "मंत्रिमंडल सचिवालय डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड "ए" समूह "सी" पद भर्ती नियम, 1996 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (2) से कालम (4) में दिए गए अनुसार होगा ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम (5) से कालम (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

2 698 GI/9 —1

If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee Composition:— 1. Chairman:—Under Secretary incharge of Group 'D' posts. 2. Two members:— ( ) Under Secretary dealing with establishment of Group 'C' posts in Ministry of Commerce. (ii) Section Officer dealing with establishment of Group 'D' posts.	Not applicable

[No. A-12018/1/96-Estt.]
S. BANERJEE, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर 1996

सा.का.नि. 517.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी में समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादकों के समूह 'क' और 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी समूह 'क' और समूह 'ख' (समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी III और श्रेणी I) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी I 1	*20 *1996 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	3700-125-4700-150-5000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति : ऐसे अधिकारी जो समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी I का पद पहले से ही नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं और जिन्हें इन भर्ती नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख को नियमित सरकारी सेवक माना गया है, प्रारंभिक गठन के प्रक्रम पर इस पद पर नियुक्त किए गए समझे जायेंगे।	प्रोन्नति : ऐसे समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी II में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. महानिदेशक, आकाशवाणी —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रसारण) सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी III	*158 *1996 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100 3500 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण—. 1 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :— 2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले	नहीं

		के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
आवश्यक . 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। 2. रिक्ति से सुसंगत सम्बद्ध भारतीय भाषा में अंग्रेजी और हिन्दी में संपादित आलेखों से समाचार मदों के अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। टिप्पण—सीधी भर्ती संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भारतीय भाषा के लिए की जाएगी। ठीक ठीक भाषा की अपेक्षा प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी । वांछनीय : 1. हिन्दी अंग्रेजी और सम्बद्ध भारतीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा में प्रवीणता (जिस अभ्यर्थी ने इस भाषा का मैट्रिकुलेशन स्तर तक माध्यम भाषा के रूप में अथवा डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया है, उसे उस भाषा में प्रवीण माना जाएगा।)	लागू नहीं होता	2 वर्ष

2. रेडियो पत्र-पत्रिकाओं या पुस्तकों के लेखन का अनुभव, या समाचार पत्रों/समाचार अभिकरणों/समाचार संगठनों में कार्य का अनुभव।

3. सामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्य-कलापों, घटनाओं, प्रमुख व्यक्तियों की जानकारी।

टिप्पण—नियुक्ति के लिए चुने गए सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह आकाशवाणी द्वारा लिए जाने वाले अनु-श्रवण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करें।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
सीधी भर्ती स्तम्भ II के अधीन ऐसे अधिकारी जो समाचार प्रवाचक-सह-अनुवादक श्रेणी III का पद पहले से ही नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं और जिन्हें भर्ती नियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख को नियमित सरकारी सेवक माना गया है, प्रारंभिक गठन की प्रक्रम पर इस पद पर नियुक्त किए गए समझे जायेंगे ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) 1. महानिदेशक (समाचार), समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (प्रशासन) आकाशवाणी महानिदेशालय —सदस्य 3. रिक्ति से सुसंगत एक भाषा विशेषज्ञ जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा —सदस्य टिप्पण :—सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करते है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 27/1/94—एल-VIII/बी (ए)]
एस. डी. कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 14th October, 1996

G.S.R. 517.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and Group 'B' posts of Newsreader-cum-Translators, in the All India Radio, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the All India Radio Group 'A' and Group 'B' (Newsreader-cum-Translator Grade-III and Grade-I) Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay :—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc. :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)
1.	2.	3.	4.
Newsreader-cum-Translator Grade-I	20* *1996 subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazette, Non-Ministerial	3700-125-4700-150-5000

Whether Selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other Qualifications required for direct recruits
5.	6.	7.	8.
Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age & essential qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made
9.	10.	11.	12.
Not Applicable	Not Applicable	Promotion: Under col. Vo. 11 Officers already holding the	Promotion: Promotion from amongst

11	12
post of Newsreader-cum-Translator Grade-I on regular basis and treated as regular Government Servants on the date of notification of these recruitment rules shall be treated to have been appointed to this post at initial constitution stage.	Newsreader-cum-Translator Grade-II with 5 years' regular service in the grade.

f a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13.	14.
Group 'A' DPC: 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Director General, All India Radio—Member 3. Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay (Rs.)
1.	2.	3.	4.
Newsreader-cum-Translator Grade-III	158* *1996 subject to variation dependent upon work-load.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500

Whether Selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
5.	6.	7.
Not Applicable	Not exceeding 30 years. Note under column 6 Note 1. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions of orders issued by the Central Government. Note 2. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Mani-	No

pur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshdweep).

Educational & other Qualifications required for direct recruits	Whether age & essential qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9.	10.
Essential: (i) Degree from a recognised University or equivalent; (ii) 3 years' experience of translating the news items from English and Hindi edited scripts to the concerned Indian language relevant to the vacancy. Note: Direct recruitment shall be made to any of the Indian languages in eighth Schedule of the constitution. Exact language requirement shall be indicated at the time of each requirement. Desirable: (i) Proficiency in any other Indian language besides Hindi, English and the concerned Indian language (a candidate who studied a language as a medium upto matriculation level or studied that language as an elective subject at degree level shall be considered proficient in that language). (ii) Experience of writing for radio periodicals or books, or experience of work in News Papers/News agency/News organisations. (iii) Knowledge of current national/international affairs, events personalities. Note: All the candidates selected for appointment shall be required to qualify and audition test to be conducted by All India Radio. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discreation of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requsite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	2 years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
11	12.
Direct recruitment. Officers already holding the post of Newsreader-cum-Translator Grade-III on regular basis and treated as regular Government servants on the date of notification of these recruitment rules shall be treated to have been appointed to this post at initial constitution stage.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group-'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation): 1. Director General (News), News Services Division, All India Radio—Chairman. 2. Deputy Director General (Administration), Directorate General, All India Raio—Member 3. One language expert relevant to the vacancy to be nominated by Union Public Service Commission—Member Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Cosultation with Uni. ı Public Service Commission necessary

[F.No. 27/1/94-S-VIII/B(A)]
S. D. KUMAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1996

सा. का. नि. 518—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा गीत एवं नाटक प्रभाग (प्रबंधक/निर्माता) भर्ती नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते है :—

1. गीत एवं नाटक प्रभाग (प्रबंधक निर्माता) भर्ती नियम, 1994 में ये संशोधन, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. गीत एवं नाटक प्रभाग (प्रबंधक/निर्माता) भर्ती नियम, 1994 में :—

(1) अनुसूची के कालम-8 के अन्तर्गत अनिवार्य योग्यताओं की मद संख्या (2) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

(2) नृत्य/नाटक/संगीत/थियेटर कला के क्षेत्र में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डिप्लोमा/डिग्री और नाटकों, नृत्य-नाटक, ओपेरा आदि के निर्माण/निर्देशन में सहायक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।

(2) संशोधित 'छूट' धारा के बाद अनुसूची के कालम 8 के अन्तर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा

वांछनीय

उस क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं का ज्ञान जिसमें गीत एवं नाटक प्रभाग के संबंधित केन्द्रों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती है (प्रत्येक भर्ती के समय इंगित किया जाना आपेक्षित)

(3) अनुसूची के कालम संख्या 12 के अन्तर्गत उप पैरा (ख) के नीचे टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित को पढ़ा जाएगा :

(इसी नियुक्ति से पूर्व प्रभाग अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य